



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 06.07.2024

1. थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा 02 वाहन/फोन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मो0सा0 टीवीएस अपाचे एवं चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.07.2024** को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये 02 (वाहन/फोन) चोर/अभियुक्त 1-अरबाज खान पुत्र अनवर अली 2-विवेक पाल पुत्र शेर सिंह को एफएनजी सर्विस रोड चौकी क्षेत्र सी-ब्लॉक से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मो0सा0 टीवीएस अपाचे एवं चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामदा।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अरबाज खान पुत्र अनवर अली मूल पता ग्राम मियागंज थाना मानी मऊ जिला कन्नौज हाल पता शिवराम स्कूल के पास फिरोज के मकान में किराये दार छिजारसी थाना सेक्टर-63 जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष
2. विवेक पाल पुत्र शेर सिंह मूल पता ग्राम अरेली थाना निगोई जिला शाहजहाँपुर हाल पता विकास शर्मा का मकान गली नं0 4 छिजारसी उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे नं0 डीएल 3एस ईडब्लू 3350
2. वन प्लस मोबाइल फोन आईएमईआई नं0 807380061014739/21
3. रेडमी फोन आईएमईआई 865416052476670/88

4. ओपपो मोबाइल फोन आईएमईआई नं0 863692050382894/86

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 288/2024 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-63, नोएडा

2.थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचर अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.07.2024** को थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 228/2024 धारा 392 भादवि में प्रकाश में आये मोबाइल स्नैचर अभियुक्त आशू गर्ग (उम्र 22 वर्ष)पुत्र कुलदीप को सेक्टर 62 गोलचक्कर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- दिनांक 27.05.2024 को वादी ने थाना सेक्टर-63 पर वादी से 02 व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन व 3500 रुपये छीन लेने के सम्बन्ध में ई एफआईआर दर्ज करायी थी, जिसमें दिनांक 02.07.2024 को घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त वंश नागपाल पुत्र गुलशन नागपाल निवासी गोल्डन पार्क को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा इसका अन्य साथी आशु गर्ग फरार चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण--

1. आशू गर्ग (उम्र 22 वर्ष)पुत्र कुलदीप निवासी गली नंबर 3, 30 फुटा रोड राजनगर कॉलोनी, थाना लोनी देहात, गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 228/2024 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-63 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

3. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 10 हजार रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.07.2024** को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये अभियुक्त सुखपाल सिंह पुत्र काले सिंह को अभियुक्त के निवास ग्राम जमालपुर थाना क्षेत्र कासना से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्त ने वादी के साथ धोखाधड़ी करके वादी की 1140 वर्ग मीटर जमीन में से 285 वर्ग मीटर जमीन का कूटरचित बैनामा तैयार कर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0 176/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि दिनांक 12.05.2024 को पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

1. सुखपाल सिंह पुत्र काले सिंह निवासी ग्राम जमालपुर तहसील सदर थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 176/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर